

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

27/02/17 22/06/20 3 वर्ष, 3 माह, 26 दिन
दिनांक/माह/वर्ष दिनांक/माह/वर्ष

पीठासीन: चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी. संख्या-९१/२०१७

कु. आकांक्षा कौशिक उम्र करीब १९ वर्ष पुत्री स्व. डॉ. महावीर शरण कौशिक निवासी मुहल्ला कटरा गुरसरांय थाना व पो. गुरसरांय तहसील गरौठा जिला झाँसी

-----याचिया।

प्रति

१. तरुण कुमार गुप्ता तनय अशोक कुमार गुप्ता निवासी ३०/अन्दर बड़ागाँव गेट झाँसी, उ.प्र.

.....वाहन स्वामी वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ महिन्द्रा पिकप

२. नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड इलाइट चौराहा, झाँसी जरिये शाखा प्रबन्धक का. इ. क. लि. झाँसी

..... बीमाकर्ता वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ महिन्द्रा पिकप

३. रहीम खॉ तनय मन्नी खॉ निवासी कटरा

.....चालक वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९

-----विपक्षीगण।

याची के अधिवक्ता श्री शिवकान्त शर्मा

विपक्षी सं. १ के अधिवक्ता श्री संजय देव शर्मा

विपक्षी सं. २ के अधिवक्ता श्री एस.बी.कनकने

विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता श्री संजय देव शर्मा

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचिया द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा १४० व १६६ के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में याचिया कु. आकांक्षा कौशिक को आयी चोटों के कारण ₹ ३७,००,०००/- क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

२. याचिका के अनुसार संक्षेप में प्रकरण यह है कि याचिया अपने परिवार के साथ दिनांक २२.१०.२०१६ को समय करीब ६ बजे गुरसरांय अपने घर से सिद्धेश्वर मन्दिर दर्शन के लिये गयी थी और लौटते समय एरच-गुरसरांय मेन सड़क के किनारे याचिया व उसका पूरा परिवार खड़ा हो गया तभी गुरसरांय की ओर से आ रही लोडर मालवाहक पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक अपने वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक अधिक उतावलेपन में बिना हॉर्न बजाये चलाता हुआ आया और याचिया व उसके परिवार को जोरदार टक्कर मार दी जिससे याचिया व उसके परिवार के लोग कच्ची सड़क के पास खेत में गिर गये और गम्भीर चोटों के कारण बेहोश हो गये। राहगीरों की मदद से याचिया व उसके परिवार के लोगों को प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरसरांय लाया गया जहाँ से उसे झाँसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी रेफर कर दिया गया। वहाँ उपचार से सन्तुष्ट न होने पर याचिया को शीला जैन प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहाँ रहकर याचिया का करीब २२ दिनों तक ऑपरेशन कर गम्भीर चोटों का इलाज कराया। इस दुर्घटना में याचिया के पिता की मृत्यु हो गई। याचिया

उच्च स्तर की पढ़ाई करने के साथ कम्पटीशन की तैयारी कर रही थी तथा घर पर बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी जिससे वह करीब ₹ १०,०००-१२,०००/- कमा लेती थी।

३. विपक्षी सं. १ व ३ क्रमशः तरुण कुमार गुप्ता व रहीम खॉन जो कि प्रश्रगत महिन्द्रा पिकप नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ के स्वामी व चालक हैं, की ओर से १९बी संयुक्त जवाब-दावा दाखिल किया गया, जिसमें उन्होंने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि उनके उक्त वाहन से कथित दुर्घटना नहीं हुयी है। विपक्षी सं. ३ कुशल चालक है व उसके पास दुर्घटना के दिनांक व समय पर वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेन्स था तथा विपक्षीगण का उक्त वाहन घटना के समय विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के यहाँ समस्त दायित्वों के लिये बीमित था अतः क्षतिपूर्ति अदायगी का यदि कोई दायित्व पाया जाता है तो क्षतिपूर्ति अदायगी का सम्पूर्ण दायित्व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी का होगा।

४. विपक्षी सं. २ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, महिन्द्रा पिकप नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ की बीमा कम्पनी की ओर से जवाबदावा १५बी दाखिल किया गया है, जिसमें उन्होंने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि विपक्षी सं. १ प्रश्रगत वाहन का पंजीकृत स्वामी नहीं है। तथाकथित दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास उक्त वाहन चलाने का वैध लाइसेन्स नहीं था और न ही विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी द्वारा उक्त वाहन बीमित था। विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार ही होता है अन्यथा नहीं। याचीगण ने मिथ्या तथ्यों पर याचिका बढ़ा-चढ़ाकर अन्य किसी प्रकार से हुई दुर्घटना को पश्चात विचारों पर तोड़-मरोड़ कर व साजिश से विपक्षी सं. १ दुर्घटना के दिनांक से २ माह बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर फर्जी रूप से क्लेम पाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की है जो खारिज होने योग्य है।

५. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक २१.०३.२०१८ को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं:-

१. क्या दिनांक २२.१०.२०१६ को समय करीब ६.०० बजे जब याचिया कु. आकांक्षा कौशिक अपने माता-पिता व बहन के साथ अपने घर से सिद्धेश्वर मंदिर दर्शन के लिये गयी थी तब मंदिर से लौटते समय एरच-गुरसराय मेन सड़क के किनारे याचिया अपने माता पिता तथा बहन सहित सड़क किनारे खड़ी थी उसी समय गुरसराय की ओर से आ रही लोडर छोटी मालवाहक गाड़ी पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से बिना हॉर्न बजाये चलाता हुआ आया और याचिया में टक्कर मार दी जिससे याचिया को गम्भीर चोटें आयीं ?

२. क्या दुर्घटना की दिनांक व समय पर पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेन्स था?

३. क्या दुर्घटना की दिनांक व समय पर पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ विपक्षी सं. २ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. से बीमित थी ?

४. क्या याचीगण कोई प्रतिकर पाने के अधिकारी हैं, यदि हाँ, तो कितनी व किस विपक्षी से?

६. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:-

१. याचिया द्वारा फेहरिस्त ७सी१ के माध्यम से ८सी१ लगायत १०सी१/३ प्रपत्र जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज झाँसी के

आकस्मिक विभाग व रेडियोलॉजी विभाग के पर्चे, इंजरी रिपोर्ट, बीमा पॉलिसी, फिटनेस प्रमाणपत्र व पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रतियाँ शामिल हैं,

२. याचिया की ओर से फेहरिस्त २२सी१ के माध्यम से २३सी१/१ लगायत ७२सी१ प्रपत्र जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोपपत्र, नक्शा नजरी की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ व महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी के आकस्मिक विभाग, रेडियोलॉजी विभाग के असल पर्चे, असल इंजरी रिपोर्ट, असल इलाज के पर्चे व दावाओं के बिल, शीला जैन प्राईवेट हॉस्पिटल का डिस्चार्ज टिकिट व इलाज से सम्बन्धित अन्य पर्चे, रिकॉर्ड आदि शामिल हैं,

३. विपक्षीगण सं. १ व ३ की ओर से फेहरिस्त २३सी१ के माध्यम से २३सी१/२ लगायत २३सी१/५ प्रपत्र जिनमें ड्राईविंग लाइसेन्स, बीमा पॉलिसी, स्वस्थता प्रमाणपत्र, पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ आदि शामिल हैं,

४. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अजय नायक, कनिष्ठ सहायक, मेडिकल कॉलेज, झाँसी द्वारा फेहरिस्त ७९सी१ के माध्यम से ८०सी१ याचिया आकांक्षा की इंजरी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति व रहीश खाँ रिकॉर्ड कीपर शीला जैन मल्टिस्पेशियलटी हॉस्पिटल द्वारा फेहरिस्त ८१सी१ के माध्यम से ८२सी१/१ लगायत ८२सी१/५९ प्रपत्र जिनमें याचिया कु. आकांक्षा कौशिक के इलाज से सम्बन्धित बिल वाउचर, भर्ती रिकॉर्ड, डिस्चार्ज स्लिप, रिपोर्ट आदि शामिल हैं,

५. याचिया की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. १ के रूप में याचिया अपूर्वा कौशिक व पी.डब्लू. २ के रूप में राजकुमार को परीक्षित कराया गया है,

६. विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

७. मैंने उभयपक्ष की ओर से वर्चुअल कोर्ट में उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

८. निस्तारण वाद बिन्दु सं. १

वाद बिन्दु सं.१ को साबित करने के लिये याची की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप-पत्र तथा पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियाँ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गयी हैं तथा मौखिक साक्ष्य के अन्तर्गत चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पी.डब्लू. १ याचिया आकांक्षा तथा पी.डब्लू. २ राज कुमार को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। बीमा कम्पनी के विद्वान् अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में दो माह का बिलम्ब है, जिससे घटना सन्देहास्पद हो जाती है तथा वाहन को झूठा आरोपित करने का मौका मिल जाता है, एक क्रेशर मालिक की गाड़ी से दुर्घटना बताई गयी है जबकि दुर्घटनाग्रस्त ब्यक्तियों के मुखिया भी क्रेशर मालिक हैं। बीमा कम्पनी के इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि इस दुर्घटना में मृतक महावीर शरण के परिवार में उसकी पत्नी याचिया श्रीमती रेखा कौशिक तथा दो बच्चियाँ भी गम्भीर रूप से घायल हुयी हैं जिनके इलाज में दो माह का समय लगने की पूरी संभावना है। दुर्घटनाकारक वाहन के स्वामी का क्रेशर मालिक होना महज इत्तेफाक हो सकता है क्योंकि इसके समर्थन में बीमा कम्पनी की ओर से कोई साक्ष्य नहीं है। विधि व्यवस्था रवि बनाम बट्टीनारायण व अन्य (18.02.2011 – SC): MANU / SC / 0133/2011 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। [पैरा – २० और २१]

अर्चित सैनी व अन्य बनाम द ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य (09.02.2018 – SC): MANU / SC / 0105/2018 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले में दावेदारों को मामले में इतनी यात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी एक आपराधिक मुकदमे में। न्यायालय को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। एक विशेष बस द्वारा एक विशेष ढंग से दुर्घटना कारित किए जाने को सख्त सबूत द्वारा साबित किया जाना दावेदारों के लिए संभव नहीं है। दावेदारों को केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था। उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक नहीं हो सकता था।

९. याचिया की माँ श्रीमती रेखा कौशिक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। वह घटना की चक्षुदर्शी साक्षी है और दुर्घटना में घायल हुई है, ने बिलम्ब का स्वाभाविक स्पष्टीकरण अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी दिया है। पी.डब्लू. १ ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का विस्तृत विवरण देते हुये कथन किया है कि वह दिनांक २२.१०.२०१६ को समय करीब ५:३० शाम अपने घर से सिद्धेश्वर मन्दिर दर्शन करने गयी थी। जब वह और उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन दर्शन करके अपने घर वापस लौट रहे थे तभी गुरसराय एरच मार्ग पर वे सभी लोग अपनी ओर खड़े थे तभी लोडर पिकप यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक तेजी एवं लापरवाही से अपने वाहन को चलाते हुए आया और उसे व उसके सामने खड़ी उसकी मम्मी वह उसकी छोटी बहन में जोरदार टक्कर मार दिया। वह दुर्घटना से पहले कंपटीशन की तैयारी एवं घर पर होम ट्यूशन करती थी जिससे लगभग १०,००० से १२,००० रुपया प्रतिमाह आय होती थी। इसी दुर्घटना में उसके पिता महावीर शरण कौशिक की भी मृत्यु हो गई थी।

१०. पी.डब्लू. २ ने भी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि दुर्घटना दिनांक २२.१०.२०१६ समय करीब ६:३० या शाम ७:०० बजे की है। दुर्घटना स्थल गुरसराय एरच मुख्य मार्ग सिद्ध बाबा मंदिर के सामने कच्ची सड़क पर हुई थी। दुर्घटना कारित करने वाला वाहन संख्या यू.पी. ७७ टी ५०८९ जो गुरसराय की ओर से आ रहा था। वह एरच गुरसराय मुख्य मार्ग पर खड़ा था और उसके सामने सड़क और सड़क की दूसरी ओर महावीर कौशिक और उनकी पत्नी रेखा कौशिक और उनकी दो बच्चियाँ अपूर्वा कौशिक और आकांक्षा कौशिक खड़ी थी। तभी उसने देखा कि गुरसराय की ओर से आ रही पिकप यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक तेजी व लापरवाही से चलाता आया और महावीर कौशिक और उनकी पत्नी और बच्चों में जोरदार टक्कर मार दी। महावीर कौशिक सड़क पर गिर गए थे। उनकी पत्नी और लड़कियाँ कच्ची सड़क पर गिर गई थीं। यह घटना उसने होते हुए देखी। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को उसने और राहगीरों ने आवाज लगाई तब जाकर आगे लोडर थोड़ा धीमा हुआ। उस समय उसने गाड़ी का नंबर देख लिया था। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में इसकी हितबद्धता के सम्बन्ध में कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है। विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अंधेरे में नम्बर नहीं देखा जा सकता है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि हल्का-हल्का अंधेरा था, उसने नम्बर देख लिया था। मेरे विचार से २२ अक्टूबर को शाम साढ़े छै:-सात बजे के बीच में इतना अंधेरा नहीं होता है कि नम्बर न देख पाया जाए। यदि अधिक अंधेरा होगा तो वाहन चालक लाईट जलाकर चलेगा और जब लाईट जलाकर चलेगा तो नम्बर प्लेट पर पड़ा नम्बर पढ़ा जा सकता है। इस साक्षी को यह सुझाव दिया गया है कि मृतक का परिवार कार में था और यह कार पेड़ से टकरायी जिससे साक्षी ने इन्कार किया है। बीमा कम्पनी की ओर से इन्वेस्टीगेशन की कोई ऐसी रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी है जिसमें कार का पेड़ से टकराने का कोई मामला सामने आता हो। पी.डब्लू. २ की साक्ष्य की सत्यता पर भी

कोई सन्देह नहीं होता है अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि दिनांक २२.१०.२०१६ को समय करीब ६.०० बजे जब याचिया कु. आकांक्षा कौशिक अपने माता पिता रेखा कौशिक, महावीर शरण कौशिक व बहन के साथ अपने घर से सिद्धेश्वर मंदिर दर्शन के लिये गयी थी तब मंदिर से लौटते समय एरच-गुरसरांय मेन सड़क के किनारे याचिया कु. आकांक्षा कौशिक अपने माता पिता व बहन सहित सड़क किनारे खड़ी थी उसी समय गुरसरांय की ओर से आ रही लोडर छोटी मालवाहक गाड़ी पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से बिना हॉर्न बजाये चलाता हुआ आया और याचिया में टक्कर मार दी जिससे याचिया को गम्भीर चोटें आयीं। तदनुसार वाद बिन्दु सं. १ सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

११. निस्तारण वाद बिन्दु सं. २

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी सं. १ व ३ की ओर से प्रपत्र सं. १६सी१/२ रहीम खॉ पुत्र मन्नी खॉ की चालन अनुज्ञप्ति की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार यह चालन अनुज्ञप्ति दिनांक ०६.०५.१९९७ को जारी की गयी है तथा यह ११.०४.२०२८ तक ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है। घटना दिनांक २०.१०.२०१६ की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुलेरो पिकप नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ के चालक के पास दुर्घटना की दिनांक पर प्रश्रगत वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेन्स था। तदनुसार वाद बिन्दु सं. २ सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१२. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ३

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. १०सी१ छाया प्रति बीमा पॉलिसी व विपक्षी सं. १ व ३ की ओर से प्रपत्र सं. १६सी१/३ बीमा पॉलिसी की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार उक्त प्रश्रगत महेन्द्रा पिकप का बीमा दिनांक ०१.०६.२०१६ से ३१.०५.२०१७ तक प्रभावी है। इस बीमा पॉलिसी का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है। घटना दिनांक २०.१०.२०१६ की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना की दिनांक व समय पर पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ विपक्षी सं. २ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. से बीमित थी। तदनुसार वाद बिन्दु सं. ३ सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१३. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ४

वाद बिन्दु सं. १ के निस्तारण से यह साबित है कि प्रश्रगत दुर्घटना के दिनांक व समय पर मालवाहक गाड़ी पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से बिना हॉर्न बजाये चलाता हुआ आया और याचिया में टक्कर मार दी जिससे याचिया को गम्भीर चोटें आयीं। इस प्रकार याचिया क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अब प्रश्न यह है कि किस विपक्षी से और कितनी? चूंकि वाद बिन्दु सं. २ व ३ सकारात्मक रूप से निर्णीत किये गये हैं अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. २ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

१४. स्थाई रूप से विकलांगता का कोई कथन या साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पी.डब्लू.१ ने यह साक्ष्य दिया है कि दुर्घटना में उसको अति गंभीर चोटें आईं। प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय उसके परिवार जनों द्वारा उसे ले जाया गया। चोटें अधिक होने के कारण उसे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया, उसके बाद शीला जैन प्राइवेट नर्सिंग होम में उसे परिजनों के द्वारा भर्ती कराया गया। उसके दाएं पैर का ऑपरेशन हुआ और पैर में छड़ें डाली गईं और बाएं हाथ का ऑपरेशन हुआ और छड़ें डाली गईं। सीने की पसलियों में भी फ्रैक्चर था। उपचार के

दौरान कई यूनिट ब्लड चढ़ाया गया जिसमें लगभग ₹४,००,००० का खर्च आया जिसके पर्चा पत्रावली में संलग्न हैं। याचिया की ओर से दुर्घटना में आयी चोटों व इलाज के समर्थन में फेहरिस्त ८१सी१ के माध्यम से महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज झांसी के आकस्मिक विभाग व रेडियोलॉजी विभाग के असल पर्चे, शीला जैन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का असल डिस्चार्ज टिकिट, महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज झांसी के आकस्मिक विभाग का याचिया की असल इन्जरी फॉर्म, इलाज के पर्चे, इंजरी रिपोर्ट, दावाओं के बिल आदि दाखिल किये गये हैं। लगभग १,६३,६११ रुपये के बिल/इनवाइस प्रस्तुत किए गए हैं जिनके सापेक्ष १,५०,८०१ रु. के बिल बीमा कम्पनी द्वारा सत्यापित कराए गए हैं जिन्हे मैं उचित पाता हूँ। प्रकरण की समस्त परिस्थितियों में उक्त गंभीर चोटों पर मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए १२,००० रु., पुष्टाहार के लिए १२,००० रु., सहायक की सेवाओं के लिए खर्च पर १२,००० रु., इलाज के लिए अवागमन पर खर्च ९,००० रु. व अस्थायी रूप से कार्य न कर पाने की हानि के लिए ९,००० रु. दिलाया जाना भी न्यायोचित समझता हूँ। इस पर ब्याज ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से याचिका प्रस्तुत करने के दिनोंक से दिलाया जाना भी न्यायोचित होगा।

आदेश

याची की याचिका विपक्षी सं. १ व ३ के विरुद्ध पृथक-पृथक व संयुक्त दायित्व के आधार पर आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि **₹२,४^०८^४,८०१/- (दो लाख अड़तालीस हजार आठ सौ एक)** मय ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं. २ को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनोंक से ३० दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दें। क्षतिपूर्ति की धनराशि याचिया के खाते मे इलेक्ट्रॉनिक मोड से नगद भुगतान की जाएगी।
तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनोंक २२.०६.२०२०

(चंद्रोदय कुमार)

मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झांसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनोंकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया। निर्णय की सूचना पक्षकारों को दी जाए।

दिनोंक २२.०६.२०२०

(चंद्रोदय कुमार)

मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण,
झांसी।